न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180 / 2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 29/02/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 265 / 218 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 8 के0एन0एन0 तहसील नोहर के खाता संख्या 61 / 60 की कुल 2.6140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम प्रताप उर्फ रामप्रताप पुत्र नत्थुराम दर्ज है जबकि वादी का सही एवं वास्तविक नाम रामप्रताप है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, सरपंच ग्राम पंचायत की रिपोर्ट में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी अपना सही नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि मुताबिक पटवारी रिपोर्ट नाम दुरूस्त किया जाना उचित है।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वादी का सही नाम रामप्रताप है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रताप उर्फ रामप्रताप गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार, पैनकार्ड आदि में वादी का नाम रामप्रताप है। अतः मुताबिक वादी के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादी का सही नाम रामप्रताप राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:27 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

नोहर के खाता संख्या 265/218 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 8 के0एन0एन0 तहसील नोहर के खाता संख्या 61/60 की कुल 2.6140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि में वादी का नाम प्रताप उर्फ रामप्रताप के स्थान पर रामप्रताप दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, जन आधार कार्ड आदि में वादी का नाम रामप्रताप अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक पटवारी द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी वादी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 265/218 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 8 के0एन0एन0 तहसील नोहर के खाता संख्या 61/60 की कुल 2.6140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी प्रताप उर्फ रामप्रताप के स्थान पर रामप्रताप के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रताप उर्फ रामप्रताप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रताप उर्फ रामप्रताप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम प्रताप उर्फ रामप्रताप ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29/02/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:27 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 180/2023

अनवान : –

1. रामप्रताप पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 180 सन 2023 निर्णय दिनांक – 29/02/24

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 3 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 265/218 की कुल 2.5300 हैक्ट भूमि एवं रोही मौजा चक 8 के0एन0एन0 तहसील नोहर के खाता संख्या 61/60 की कुल 2.6140 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **वादी प्रताप उर्फ रामप्रताप के स्थान पर रामप्रताप के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच प्रताप उर्फ रामप्रताप के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का प्रताप उर्फ रामप्रताप के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादी का नाम प्रताप उर्फ रामप्रताप ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/02/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(~~सत्यनारायण~~ R.A.S) पंकज गढ़वाल

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलक्टर

नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.04.02 17:52:27 IST
Reason: SelfAttested